

राजस्थान सरकार

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

जी 3/1, अम्बेडकर भवन, सिविल लाईन रेल्वे क्रॉसिंग के पास, जयपुर

क्रमांक : एफ 7 (2)(101)/रा.छा./सान्याअवि/22/13446

जयपुर, दिनांक 16-03-22

प्रशासनिक स्वीकृति आदेश संख्या 63/2022-23

माननीय मुख्यमंत्री महोदय के बजट भाषण वर्ष 2021-22 के बिन्दु संख्या 383 के बिन्दु 12 की अनुपालना में वित्त (व्यय-2) विभाग की आई डी. संख्या 162200330 दिनांक 11.03.2022 द्वारा दी गई स्वीकृति/सहमति के अनुसरण में निम्नानुसार छात्रावास भवन-निर्माण की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।

क्र.सं.	छात्रावास का नाम	स्वीकृत क्षमता	बालक / बालिका	स्वीकृत राशि (राशि लाखों में)	कार्यकारी एजेंसी
1	राजकीय अनुसूचित जाति बालिका छात्रावास भरतपुर जिला भरतपुर	50	बालिका	280.00	सार्वजनिक निर्माण विभाग

(ओ.पी.बुनकर)

निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक : एफ 7 (2)(101)/रा.छा./सान्याअवि/22/13447-58 जयपुर, दिनांक 16-03-22

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राज. जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राज. जयपुर।
3. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय 2) विभाग राज. जयपुर।
4. निदेशक, वित्त (बजट) विभाग राज. जयपुर।
5. निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राज. जयपुर।
6. जिला कलेक्टर भरतपुर।
7. वित्तीय सलाहकार, मुख्यावास।
8. अतिरिक्त निदेशक (छात्रवृत्ति एवं छात्रावास) सान्याअवि, राज. जयपुर।
9. संयुक्त निदेशक (आई.टी.), मुख्यावास को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश सीएमआईएस पोर्टल एवं विभागीय वेबसाइट पर ऑन लाइन करने हेतु।
10. सहायक निदेशक (छात्रावास) मुख्यावास।
11. उपनिदेशक सान्याअवि भरतपुर।
12. मॉडर्न फाईल।

निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव